बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी-प्रतिवेदन

(भाग-१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २८ जुलाई, १९७८

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
	अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या ९; १०, ११,	१-१०
	तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या ८२३, १२०४, १२०९, १२११, १८४०, १८४१, १८४२, १८४३, १८४४, १८४६, १८५२, १८५४, १८५८, १६५९, १८६१, १८६३, १८६७, १८७०, १८७२, १८७४, १८७७, १८७८, १८७९, १८८०, १८८२; १८८४, १८८८, १८८९,	१०-७५

(२) क्या इसका उपयोग साबुन आदि बनाने में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है जैसा कि बंगाल में खादी ऐन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(३) क्या राज्य सरकार बिहार में भी ऐसा अध्ययन कराने का विचार रखती है ?

श्री ठाकुर प्रसाद—(१) उत्तर नकारात्मक है। अखाद्य तेलहन को स्थानीय जनता (आदिवासी, हरिजन) संग्रह कर व्यापारियों के हाथ बिक्री करती है। ये व्यापारी बड़े पैमाने पर साबुन की बड़ी फैक्टरियों में बिक्री कर लाभ कमाते हैं।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। बिहार राज्य फर्मास्यूटिकल एण्ड केमिकल कारपोरेशन पता लगाने जा रही है कि अधिक मात्रा में अखाद्य तेल इस राज्य में अथवा आसपास के राज्यों में उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं ताकि इस राज्य में फैटी एसीड्स और गिलसरीन बनाया जा सके जिसमें अखाद्य तेलों का इस्तेमाल हो सके।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने तो हमारे प्रश्न के सभी पहलुओं को स्वीकार कर लिया है। सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या नीम का तेल वहाँ के लोग खाते हैं क्या ?

(सरकार से कोई उत्तर नहीं)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा का स्थायीकरण।

८२३. श्री सनातन सरदार—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री महमूद आलम पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में प्लम्बर के पद पर १४ वर्षों से मास्टर रौल पर कार्य करते आ रहे हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार २४० दिनों की लगातार सेवा के पश्चात् ही सेवा नियमित कर देने का प्रावधान है,

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री आलम की सेवा भूतलक्षी प्रभाव से नियमित करते हुए उन्हें स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

*श्रीमती सुमित्रा देवी—(१) उत्तर नकारात्मक है। श्री आलम ने प्लम्बर का काम दिनांक १-१०-७७ से ३१-५-७८ तक मास्टर रौल पर किया है।

(२) सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित निर्माण कार्य में संलग्न दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारीगण १२ महीने के अन्दर २४० दिनों की सेवा पूरी करने पर कार्यभारित स्थापना में स्वतः चले जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उन कर्मचारियों की सेवा २४० दिनों के बाद नियमित की जा सकती है, जिनकी बहाली कार्यभारित कर्मचारी के रूप में की जाती हैं, न कि उन कर्मचारियों की जो मास्टर रौल पर काम करते हैं। सेवा तभी नियमित की जाती है, जब पद रिक्त हों और कार्यभारित कर्मचारी पद की आवश्यकता योग्यता रखता हो। पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में प्लम्बर का कोई पद रिक्त नहीं है। श्री आलम को नियमित बहाली के लिए आवश्यक प्लम्बर लाइसेंस भी नहीं है। इसके अलावा श्री आलम ने १-६-७८ से स्वतः काम छोड़ दिया है एवं काम पर नहीं आ रहे हैं। अतः इनकी सेवा नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) उपर्युक्त खंडों के उत्तर के आलोक में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*श्री सनातन सरदार—क्या यह बात सही है कि श्री आलम को १-११-७७ से प्लम्बर के पद पर प्रोन्नति दी गयी थी ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—वह कार्यभारित हुए नहीं, मजदूर हैं तो उनको प्रोन्नति देने का सवाल नहीं है।

श्री सनातन सरदार—क्या यह बात सही है कि पत्र संख्या ८०९-१०, दिनांक १२-३-६९ से उन्हीं के साथ काम करनेवाले चार में से तीन को प्रोन्नति दी गयी और उनको नहीं दी गयी ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य का यह पूरक प्रश्न कहाँ से उठता है ?

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि उनको रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन नहीं था तो सरकार १४ वर्षों से कैसे उनसे काम ले रही थी ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—अध्यक्ष महोदय, १४ वर्षों से प्राधिकार नहीं है। मेरा ख्याल है कि १९७५ से प्राधिकार है और प्राधिकार को १४ वर्ष नहीं हुए तो उनको काम करते हुए १४ वर्ष कैसे हो गये ?

श्री राणा शिवलाखपति सिंह—१४ वर्ष नहीं १४ दिन ही सही, जब उनको सर्टिफिकेट नहीं था, रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन नहीं था तो सरकार कैसे उनसे काम ले रही थी ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—उसमें ४० हजार का काम करना था, मजदूर से ये गये और दूसरे लोग इनकी मदद करते थे।

*श्री जयराम उरांव—क्या सरकार बतायेगी कि मास्टर रौल में काम करने-वालों में से तीन को प्लम्बर में प्रोन्नति कर दी गयी और इनको छंटनीग्रस्त कर दिया गया ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री जयराम उरांव—अध्यक्ष महोदय, एक साथ चार काम करते थे मास्टर रौल में और उनमें से तीन को ले लिया गया और इनको नहीं लिया गया क्यों ?

अध्यक्ष—आपने सरकार का उत्तर सुना नहीं। वे स्वतः काम छोड़कर चले गये और वे काम पर नहीं आ रहे हैं।

श्री जयराम उरांव—अध्यक्ष महोदय, उनको छुड़ा दिया गया। वे काम छोड़कर नहीं गये।

अध्यक्ष—सरकार कहती है कि वे काम छोड़कर चले गये और काम पर नहीं आ रहे हैं।

श्री जयराम उरांव—गलत जवाब है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

*श्री नरसिंह बैठा—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि चार आदमी में से तीन को रख लिया गया और इनको नहीं रखा गया। क्या इनको इसलिए नहीं रखा गया कि श्री आलम माईनॉरिटी कम्युनिटी के हैं ?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री नरसिंह बैठा जी आसन ग्रहण करें। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये। आप एक जिम्मेवार माननीय सदस्य हैं।

सदन में जो बात बोलते हैं वह सदन के बाहर भी जाती हैं। जबतक कोई साक्ष्य न हो तब तक गैर-जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिये।

श्री नरसिंह बैठा—आखिर यह भी तो माइनोरिटी कम्युनिटी का ही है ?

अध्यक्ष—सरकार ने जो उत्तर दिया वह सुना नहीं ? सरकार ने कहा कि काम पर जाना उन्होंने स्वयं बंद कर दिया है। आपके पास कोई साक्ष्य हो, तो कहिये, नहीं तो इस तरह की बात नहीं बोलें।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, कौन-सी योग्यता इस पद के लिए चाहिये जो श्री महमूद आलम के पास नहीं थी ?

श्रमती सुमित्रा देवी—प्लम्बर का काम करने के लिए इस काम को सीखना आवश्यक है।

श्री रामलखन सिंह यादव—तो आपके यहां काम कर रहे थे तो अनुभवी हो गए। यह बतलाइये कि उनकी परीक्षा कब ली गयी जो पास नहीं कर सके ?

अध्यक्ष—जब अपने काम छोड़कर चले गये तो सवाल नहीं उटता।

श्री रामलखन सिंह यादव—परमोशन नहीं मिला तो काम छोड़ नहीं देते ? पहले से क्वालिफिकेशन नहीं था तो काम कैसे किया ? जितने काम करने वाले लोग मास्टर रौल पर थे उनकी योग्यता की परीक्षा ली गयी और वे फेल कर गये।

श्रीमती सुमित्रा देवी—प्लम्बर का काम करने के लिये लाइसेंस लेना पड़ना है, वह लाइसेंस उनके पास नहीं था।

श्री रामलखन सिंह यादव—कौन लाइसेंस देता है और कहां से मिलता है ? आप कहती हैं कि जो काम करते हैं उसी को देते हैं।

अध्यक्ष—लाइसेंस कहां से मिलता है यह पूछिये।

(जवाब नहीं मिला।)

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि जो योग्यता प्राप्त आदमी को रखते हैं और उस योग्यता के हैं और फिर काम करना चाहते हैं तो उनके केस पर विचार सरकार को करना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा देवी—विचार का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वे स्वयं काम छोड़कर चले गए।

श्री रामलखन सिंह यादव—परमोशन नहीं मिला तो छोड़कर कैसे नहीं जायेंगे ?

अध्यक्ष—जो डेली वेज पर काम करनेवाले हैं, उनको परमोशन क्या होगा ? पहले रेगुलर होना चाहिये ।

श्री रामलखन सिंह यादव—रेगुलर होना चाहिये, लेकिन रेगुलर किया नहीं, इसलिये दुखी होकर चले गए ।

*श्री गणेश प्रसाद यादव—प्लम्बर के पद पर जब काम करने वालों के लिये लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब उनके पास लाइसेंस नहीं था तो कैसे इन्हें मास्टर रौल पर बहाल किया गया ।

अध्यक्ष—मास्टर रौल पर बहाल होने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । जब मास्टर रौल पर बहाल हुए तो माननीय मंत्री ने कहा कि काम लिया जाता था और दूसरे लोग जो लाइसेंस प्राप्त थे, वे इनकी मदद किया करते थे । वे डेली वेज पर थे । जब रेगुलर एप्वायंट करने की बात है, तो उन्हें रेगुलर होना चाहिये ।

श्री गणेश प्रसाद यादव—तो वे १४ वर्षों से कैसे काम कर रहे थे ?

अध्यक्ष—"१४ वर्षों से" थे, यह तो आप अपने मन से कह रहे हैं । १४ वर्ष तो प्राधिकार का बना हुआ भी नहीं हुआ ।

श्री चतुरानन मिश्र—हो सकता है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में हों । यह तो सरकार ही बता सकती है कि कितने दिनों से काम में थे ? नौकरी में आ जाने के बाद कोई छोड़कर नहीं जाता । जरूरत कुछ हुआ होगा, जिस परिस्थिति में उनको जाना पड़ा । अगर वे फिर आवेदन दें तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा देवी—आवेदन पत्र ही देने से नहीं होगा । (बैठे-बैठे) । लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी ।

(शोरगुल)

श्री चतुरानन मिश्र—जो काम वे कर हे थे वह तो बिना लाइसेंस के कर रहे थे । रेगुलराइज करने की एक पद्धतिहोती है । अगर इम्पलायड हो तो टाइम दे दिया जाता है लाइसेंस के लिये ।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने कहा कि वे लाइसेंस प्राप्त कर लें। अभी तक मास्टर रौल पर थे। अगर रेगुलर में बहाल होते हैं, किसी खास पद पर बहाल होते हैं, तो उसके लिये उनको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का सहानुभूतिपूर्वक उनके आवेदन पर विचार करने संबंधी आश्वासन हुआ या नहीं, क्योंकि वे बैठे-बैठे बोलीं। प्रोसीडिंग्स में हो सकता है, नहीं आया हो ?

श्रीमती सुमित्रा देवी—मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने कहा कि आवेदन पत्र ही देने से नहीं होगा, लाइसेंस भी प्राप्त कर लें, तो माननीय मंत्री सहानुभूतिपूर्वक उनके आवेदन पर विचार करेंगी।

श्री चतुरानन मिश्र—यह आश्वासन आपकी तरफ से हुआ।

कर की वसूली

१२०४. श्रीमती कृष्णा शाही—क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार कोयला नियंत्रण आदेश, १९५६ के अनुसार कोयले के व्यवसायी या इस प्रकार के कोयला व्यवसाय में संलग्न उसकी खरीद-बिक्री के लिये कोयले के संग्रह में लगे लोगों के लिये लाईसेंस रखना जरूरी है।

(२) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला प्रशासन ने एक सौ ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है जो अपने पास लाईसेंस नहीं रख कर कोयले का गोलमाल एवं कर वंचना कर रहे हैं।

(३) यदि उपरोक्त अंशों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बकाये कर की वसूली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

डॉ० महावीर प्रसाद—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।